(5)

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)

दीवानी पुनरीक्षण क्र. 106 /2005 **SINGLE BENCH**

व्यवहार पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 115 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

पुनरीक्षणकर्तागण/
प्रतिवादीगण : 1. संस्था श्री सर्वेश्वरी समूह ग्राम पड़ाव पोस्ट कुष्ट सेवाश्रम वाराणसी द्वारा गुरुपद संभव जी अध्यक्ष सर्वेश्वरी समूह ग्राम पड़ाव पोस्टं कुष्ठ सेवाश्रम वाराणसी (उ.प्र.) द्वारा बालकृष्ण सिंह उर्फ टप्पू सिंह व्यवस्थापक सर्वेश्वरी समूह सोगड़ा आश्रम जशपुर।

2. कृष्ण कुमार आत्मज बाल कृष्ण सिंह उर्फ टप्पू सिह आयु 32 वर्ष, व्यवस्थापक सर्वेश्वरी समूह सोगड़ा आश्रम थाना व तहसील जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)

P.R. No. 1732/05
Presented by Shri Ganesh Prasad Agrawal
dated 28/6/05

बनाम

अनावेदक/वादी : शिवपूजन पांडे (राम बनवासी) उर्फ डॉक्टर बाबा आ. श्री नंदकिशोर पाण्डेय आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम चड़िया थाना व तहसील जशपुर जिला- जशपुर (छ.ग.)

XI-HC-22

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(49)

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक Civil Rev 106/05 सन् ~~2005~~

विरुद्ध

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश
	18.11.2005 Shri Pradeep Mishra, counsel for the applicants. None for the non-applicants. Heard on IA No.2398/2005. Learned counsel for the applicants orally prays for withdrawal of this revision with liberty to take appropriate remedy under the law and prays to return the certified copy of the impugned order annexed along with the petition. Considered. Certified copy of the impugned order be returned to him on substitution by photocopy of the same. This revision is dismissed as withdrawn with aforesaid liberty. IA No.2398/2005 is disposed of accordingly. Certified copy as per rules. Sd/- V.K.Shrivastava Judge	

padma